उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार–249404

संख्याः 219/78/03/डी0आर0(व्यवस्था0)/सेवा–1/2022–2023 दिनांकः 09 फरवरी, 2024

विस्तृत विज्ञप्ति

व्यवस्थाधिकारी (राज्य सम्पत्ति विभाग) स्क्रीनिंग (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा–2023

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या–**A-1/DR(M.O)/S-1/2023,** दिनांक 29 अगस्त, 2023 द्वारा विज्ञापित **राज्य सम्पत्ति विभाग में व्यवस्थाधिकारी** के रिक्त 07 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु व्यस्थाधिकारी (राज्य सम्पत्ति विभाग) स्क्रीनिंग (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा–2023 का आयोजन **दिनांक 03 मार्च, 2024 (रविवार)** को **हरिद्वार नगर** में किया जायेगा। उक्त परीक्षा हेतु औपबन्धिक रुप से अर्ह अभ्यर्थी दिनांक 16 फरवरी, 2024 (शुक्रवार) से आयोग की वेबसाईट **psc.uk.gov.in/ukpsc.net.in** से प्रवेश–पत्र **(Admit-Card)** डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा पृथक से प्रवेश–पत्र (Admit-Card) प्रेषित नहीं किये जायेंगे। उक्त के साथ ही प्रश्नगत परीक्षा के पाठ्यक्रम का हिन्दी अनुवाद भी आयोग की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2. दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक के सम्बन्ध में प्राविधान का उल्लेख, विज्ञापन के **परिशिष्ट–5 एवं 6** में किया गया है। प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित दिव्यांग अभ्यर्थी उक्त परिशिष्ट में उल्लिखित निर्देशों का अवश्य अवलोकन कर लें। **यह भी उल्लेखनीय है कि श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी।**

3. ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं श्रुतलेखक (Scribe) लाने का दावा करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक है, को **परिशिष्ट–5(1) एवं परिशिष्ट–5(2)** तथा ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम है, को **परिशिष्ट–6(1) एवं परिशिष्ट–6(2)** को पूर्णतः भरते हुए श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो के साथ **परिशिष्ट–5(2)/परिशिष्ट–6(2)** में किये गये दावे के आधार पर शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंक–तालिका/प्रमाण–पत्र उनके पहचान पत्र के साथ आयोग कार्यालय में **दिनांक 26 फरवरी, 2024 (सोमवार)** तक डाक द्वारा अथवा ई–मेलः **sewaone1@gmail.com** पर प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उक्त अंतिम तिथि **दिनांक 26 फरवरी, 2024 (सोमवार)** तक डाक द्वारा अथवा ई–मेल के माध्यम से आयोग कार्यालय में वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को ही आयोग द्वारा श्रुतलेखक अनुमन्य किया जायेगा। दिव्यांग अभ्यर्थी **परिशिष्ट–5(1) एवं परिशिष्ट–5(2) तथा 6(1) एवं परिशिष्ट–6(2)** आयोग की वेबसाईट **psc.uk.gov.in** से डाउनलोड कर सकते हैं।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।